न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2020

दायर दिनांक–13.03.2020
निर्णय दिनांक–28.10.2020

रमेशचन्द्र पुत्र देवचन्द जी जाति कलाल पटेल उम्र 55 वर्ष निवासी भासौर तहसील सागवाडा जिला डूॅगरपुर (राज.) :– निगरानीकर्ता

बनाम

1 गणेशलाल पिता मंगलजी जाति सुथार निवासी भासौर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

2 सरपंच ग्राम पंचायत भासौर तहसील सागवाडा जिला डूॅगरपुर

3 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भासौर त. सागवाडा जिला डूॅगरपुर :– विपक्षीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान राज अधिनियम

उपस्थितः–श्री हितेन्द्र पटेल वास्ते निगरानीकर्ता

उपस्थितः– श्री नगीन पटेल वास्ते विपक्षी सं. एक

उपस्थित :– विपक्षीगण सं. दो से तीन स्वयं

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत भासौर त. सागवाडा जिला डूॅगरपुर के खसरा नम्बर 2227 मे स्थित भूखण्ड सं. 23 साईज 30 गुणीत 14.5 का आवासीय पट्टा दिनांक 29.5.2018 को विपक्षी सं. एक को विपक्षी सं. दो व तीन द्वारा जारी किया उपरोक्त पट्टा गलत जारी किया गया है , उपरोक्त पट्टा पशुघर का होकर विपक्षी सं. एक द्वारा उपरोक्त भूमि निगरानीकर्ता को रहन रखी गई है तथा उपरोक्त पशुघर पर कब्जा निगरानीकर्ता का है।पट्टे की आड मे विपक्षी सं. एक द्वारा जबरन निर्माण कार्य प्रारंभ कर [illegible] जानकारी हुई जिस पर निगरानकर्ता द्वारा विप[illegible] निरस्त करने आवेदन किया जि[illegible] की जिस[illegible] यह निगरानी प्रस्तुत की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रकरण मे निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण की तलबी की गई । विपक्षी सं. एक की और से अपना जबाब प्रस्तुत किया गया विपक्षी सं. दो व तीन की और से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया तथा विपक्षी सं. दो व तीन की और से पट्टा पत्रावली प्रस्तुत की गई।

विपक्षी सं. दो की और प्रस्तुत जबाब के अनुसार अंकित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है तथा जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वहां 100 वर्ष पुराना कब्जा होकर पट्टे शुदा स्थान को पशुघर के रूप मे उपयोग उपभोग किया जाता आ रहा है तथा विपक्षी सं. एक द्वारा इस बात से इंकार किया गया कि उसके द्वारा पट्टे शुदा संपति को निगरानीकर्ता को कभी गिरवे रखा हो , निगरानीकर्ता कथित गिरवीनामा के आधार पर विपक्षी सं. एक की भूमि को छुथियाना चाहता है।निगरानी म्याद बाहर है एवम् अन्य तथ्यों का कथन करते हुआ उल्लेखित किया की निगरानीकर्ता की निगरानी खारीज की जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान् के दस्तावेजात व ग्राम पंचायत की और से प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया एवम् उपभय पक्षों की बहस समायत की गई।

विद्वान वकील निगरानीकर्ता की और से अपने निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि पट्टे शुदा भूमि पर आवास नही होकर पशुघर था तथा उपरोक्त स्थान को आवास के रूप मे नही बल्कि पशुघर के रूप मे उपयोग उपभोग किया जा रहा था तथा विपक्षी सं. एक द्वारा निगरानीकर्ता को 75000/– अक्षरे पिचहत्तर हजार रू. मे गिरवी रखा गया था तथा कब्जा निगरानीकर्ता को सुपुर्द किए जाने से उपरोक्त संपति पर कब्जा वर्ष 2009 से अनवरत् निगरानीकर्ता का है। निगरानीकर्ता का यह भी कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि मे उल्लेखित अपनी सीमा से अधिक भूमि का पट्टा जारी किया गया है। तथा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह आवास नही होकर पशुघर है तथा पशुघर को आवास दर्शाया जाकर पट्टा जारी करवाया गया है।

इसके विपरीत विद्वान वकील विपक्षी सं.एक द्वारा अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यों को पुनरावृत करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है तथा किसी भी प्रकार से विधि का उल्लघंन नही किया है । विपक्षी के 100 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

पुराने मकान के पास जो पशुघर है उसी का पट्टा जारी किया गया है। विपक्षी सं. एक द्वारा उपरोक्त पट्टे शुदा भूमि को समतल कराकर नीवें भराने का कार्य किया जा रहा था तब तक कोई आपत्ति निगरानीकर्ता द्वारा नही की गई । यदि कथित इकरारनामा के आधार पर निगरानीकर्ता अपना कोई हक मानता है तो उसको सिविल कोर्ट मे जाना चाहिए था , करार की पालना का वाद लाना चाहिए था । निगरानीकर्ता वर्ष 2009 का करारनामा बता रहा है क्योकि उसके पास करार की पालना हेतु तीन वर्ष का समय था लेकिन इस तरह का कोई दस्तावेज वास्तविक रूप से संपादित ही नही हुआ था इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा कोई वाद नही लाया गया तथा मात्र विपक्षी को परेशान करने यह कार्यवाही की गई । निगरानीकर्ता को निगरानी करने का कोई अधिकार नही है ।

ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत पत्रावली एवम् प्रकरण मे सलंग्न दस्तावेजात का एवम् उभय पक्ष की सुनी गई बहस के उपरान्त न्यायालय के समय यह विचाराणीय बिन्दु है कि क्या ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को निगरानीकर्ता निरस्त करने का अधिकारी है?

न्यायालय द्वारा सम्स्त दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहूँचा जाना उचित पाया गया कि ग्राम पंचायत के समक्ष विपक्षी सं. एक द्वारा दिनांक 7.12.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित पट्टा जारी करने मांग की गई । इस संबध मे ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखा जाकर अनापत्ति पत्र जारी किया गया निश्चित समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर पट्टा सं. 23 ग्राम पंचायत भासौर का जारी किया गया।

प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात व उभयपक्षों की बहस के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रथम दृष्टया भूमि का मालिक विपक्षी ही है तथा ग्राम पंचायत द्वारा उसे विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है जहां तक प्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा पट्टा ग्रस्त भूमि करारनामे से क्रय की है यानि प्रार्थी भी इस बात को स्वीकार करता है कि भूमि का मालिक विपक्षी ही है यदि उपरोक्त भूमि प्रार्थी द्वारा जारिए करार क्रय की है और उस आधार पर वह अपना हक जताता है तो इस बिन्दु को इस न्यायालय द्वारा तय किया जाना उचित नही पाया जाता है तथा इसके लिए प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

सक्षम सिविल न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिए थी वहां सम्पूर्ण साक्ष्य ली जाकर यह बिन्दु तय किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति मे इस न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुॅचा जाता है कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता की निगरानी मे ऐसा कोई बिन्दु प्रतीत नही होता है जिसके आधार पर उनकी निगरानी स्वीकार योग्य हो ऐसी परिस्थिति मे निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त कर खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्णपालसिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2021.02.22 11:05:50 IST
Reason: SelfAttested